बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, जमुई।

पटना 14, दिनांक–

विषय – जमुई जिलान्तर्गत SH-82 लछुआर–जमुई–गरही–रूपावेल–कौआकोल में रूपावेल तक भाया कुण्डघाट भगवान महावीर जन्मस्थली 0.00–25.05 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (वन क्षेत्र में पड़ने वाले पथांश Ch.6000-17000=11.000 KM एवं Ch. 21100-22300=1.200 KM Total 12.200 KM) हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.795 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Road/29990/2017/2766 दिनांक 06.12.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 5.795 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है–

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 5.795 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 36,27,670/– (रूपये छत्तीस लाख सताईस हजार छः सौ सतर) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या–4 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 21,23,585/– (रूपये इक्कीस लाख तेईस हजार पाँच सौ पचाँसी) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक 841 दिनांक 12.06.2018 (छायाप्रति संलग्न)।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या–9 के आलोक में पुराने 10 प्रस्ताव में से 5 प्रस्तावों में बकाया NPV मद की राशि रू० 3,08,05,460/– (रूपये तीन करोड़ आठ लाख पाँच हजार चार सौ साठ) मात्र प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी। अनुलग्नक–1

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त्त संख्या–9 के आलोक में पुराने 10 प्रस्तावों में क्षतिपूरक वनीकरण में मद अधिरोपित शर्त्तों के आलोक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 2,48,90,809/– (रुपये दो करोड़ अड़तालीस लाख नब्बें हजार आठ सौ नौ) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक 747 दिनांक 22.05.2018 (छायाप्रति संलग्न)।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त्त संख्या–9 के आलोक में पुराने 10 प्रस्तावों में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण में मद में अधिरोपित शर्त्तों के आलोक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 2,85,08,181/– (रुपये दो करोड़ पचासी लाख आठ हजार एक सौ इक्कासी) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक 1400 दिनांक 06.09.2018 (छायाप्रति संलग्न)।

6. **उपर्युक्त NPV CA एवं PCA मद की कुल राशि रू० 8,99,55,705/– (रुपये आठ करोड़ निन्नावें लाख पचपन हजार सात सौ पाँच) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

7. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

8. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 18 में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-1310 दिनांक– 11/12/2018

प्रतिलिपि– वन संरक्षक भागलपुर अंचल, भागलपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12/18

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।